न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 106/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00139

बउनवानी–मोहन लाल पुत्र कालू गुर्जर निवासी जटवाडा कलां तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 62/2019 निर्णय दिनांक 26.2.2019 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 16.12.2019**

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 62/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2075 में वाके ग्राम जटवाडा कलां तहसील सवाईमाधोपुर की गै0मु0 पहाड की भूमि आराजी ख0न0 723 रकबा 0.08 है0 पर तार फैसिंग कर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। यह तर्क भी दिया गया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय लगभग 40 वर्षो से निवास कर रहा है तथा उक्त स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा नवीन आबादी बसायी जाकर उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करवाने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है, तथा इस आराजी ख0न0 723 मे से 1 बीघा भूमि आबादी हेतु सेटपार्ट करते हुए गैर मुमकिन आबादी दर्ज की है। यह तर्क भी दिया उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही बाबूलाल नाम के व्यक्ति के प्रभाव से की गयी है। जबकि ख0न0 710 एवं 723 की भूमि पर अन्य लोगो के भी मकानात व बाडे बने हुऐ है किन्तु उनसे केवल मात्र पैनेल्टी जमा की जाती है सिविल कारावास जैसी सजा नही देते है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.10.2019 को पुलिस वाले वारण्ट लेकर गांव आने पर घर वालो के बताये जाने पर प्राप्त होने पर जानकारी

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरवायी जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के नोटिस की स्वंय अपीलान्ट से व्यक्तिशः करवायी गयी तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट स्वंय न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। इसलिए वकील अपीलान्ट का यह कथन उचित नही है कि उसको नोटिस की प्रोपर तामील नही करवायी गयी है। एवं सुनवायी का अवसर नही दिया गया हो। चूंकि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अपना कब्जा 40 वर्षो से बताया गया है जिसके आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की पुष्टि हो जाती है। जहॉ तक उक्त भूमि आबादी मे सेटपार्ट किये जाने का प्रश्न है तो वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिसके आधार उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट को जारी नोटिस की पुश्त पर स्वंय अपीलान्ट से व्यक्तिशः करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहॉ तक अपीलान्ट के पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये इस कथन से हो जाती है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर 40 वर्षो से कब्जा रहा है। ख0न0 723 मे से 1 बीघा भूमि आबादी हेतु सेटपार्ट की गयी हो ऐसा कोई सबूत वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत नही किया गया है। चूंकि उक्त विवादित ख0न0 723 रकबा 0.16 है0 भूमि पर अपीलान्ट द्वारा तार फैन्सिग कर वर्तमान में भी स्थायी अतिक्रमण कर रखा है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.30 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: